संख्या-631/2025/3415/22-2-2023-17(1226)/2023

प्रेषक,

शिव गोपाल सिंह
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 लखनऊ: दिनांक 26 जून, 2025

विषय:- जिला कारागार, आजमगढ में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी इकबाल पुत्र श्री अब्दुल खालिक, निवासी जनपद-आजमगढ़ की फार्म-ए/लाइसेंस के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अधीक्षक(मु0), कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें, उ0प्र0 के पत्र संख्या-26788/प्रोबेशन-3-फार्म-ए/(एम-08.08.2023), दिनांक 24.08.2023 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार जिला कारागार, आजमगढ में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी इकबाल पुत्र अब्दुल खालिक, कस्बा-जहानागंज, थाना-जहानागंज, जनपद-आजमगढ़ का निवासी है। बन्दी पुरानी रंजिश के कारण बन्दी ने दिनांक 13.04.2007 को अपने 10 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर बम, रिवाल्वर व तमंचे से गोली मारकर वादी के पिता, भाई अकरम, चाचा-फारूक व उनके लड़के इम्तियाज सहित 04 व्यक्तियों की हत्या कर दी व 02 अन्य व्यक्तियों को घायल कर दिया। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-417/2007 व 420/2007, भा0द0वि0 की धारा-147, 148, 307/149, 302/149, 452, 286, 504, 506 व 7 सी०एल०ए० एवं 25/27 आर्म्स एक्ट के अन्तर्गत मा० सत्र न्यायाधीश, आजमगढ़ के आदेश दिनांक 22.12.2016 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया। बंदी ने दिनांक 10.07.2023 तक अपरिहार 16 वर्ष, 02 माह, 17 दिन तथा सपरिहार 18 वर्ष, 02 माह, 23 दिन की सजा पूरी कर ली है।

जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, आजमगढ़ द्वारा मा० उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में बन्दी द्वारा कारित अपराध समाज को व्यापक रूप से प्रभावित करने, बन्दी द्वारा भविष्य में पुनः अपराध करने की सम्भावना होने, बन्दी द्वारा पुनः अपराध करने में अशक्त नहीं होने, बन्दी को जेल में आगे निरूद्ध करने का सार्थक प्रयोजन होने, बन्दी के परिवार की सामाजिक आर्थिक दशा में बन्दी की समयपूर्व रिहाई हेतु उपयुक्त नहीं होने की आख्या अंकित करते हुए समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

प्रोबेशन बोर्ड का अभिमत है कि पुरानी रंजिश के कारण बन्दी ने दिनांक 13.04.2007 को बन्दी ने अपने 10 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर बम, रिवाल्वर व तमंचे से गोली मारकर 04 व्यक्तियों की हत्या करने व 02 व्यक्तियों को घायल करने का जघन्य अपराध कारित किया गया है। इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत संदेश जायेगा। इस प्रकार बन्दी द्वारा कारित अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता, जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट

1-यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

shasanadesh.up.gov.in

द्वारा बन्दी की समयपूर्व रिहाई का विरोध किये जाने के दृष्टिगत प्रिजनर्स रिलीज आंन प्रोबेशन एक्ट 1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बंदी इकबाल पुत्र अब्दुल खालिक को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

3- अतः उपरोक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि जिला कारागार आजमगढ़ में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी इकबाल (बन्दी संख्या-452/2016) पुत्र श्री अब्दुल खालिक, निवासी जनपद-आजमगढ़ की यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज ऑन प्रोबेशन एक्ट-1938 की धारा-2 के प्राबिधानों के अन्तर्गत सम्यक विचारोपरान्त उसे मुक्ति का पात्र नहीं पाया गया है। अतएव उक्त बन्दी के लाईसेन्स पर मुक्ति मा0 राज्यपाल महोदया द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। तद्नुसार उसके फार्म-ए/लाईसेंस पर शासन का आदेश अंकित करके एतदद्वारा वापस लौटाया जा रहा है। कृपया प्राप्ति स्वीकार करते हुए शासन के निर्णय से बन्दी को तत्काल अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नकः यथोपरि।
(बन्दी का फार्म-ए एवं समस्त पत्रादि सहित)

भवदीय,
शिव गोपाल सिंह
संयुक्त सचिव।

संख्या-631/2025/3415(1)/22-2-2023-17(1226)/2023,तद्दिनांकित।
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- जिला मजिस्ट्रेट, आजमगढ़।
2- वरिष्ठ अधीक्षक, जिला कारागार आजमगढ।
3- निजी सचिव, मा0 मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
4- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
5- नोडल अधिकारी/अधीक्षक, जिला कारागार, गाजियाबाद को मा0 उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली में योजित विशेष अनुज्ञा याचिका (क्रि0) संख्या-529/2021 सोनाधर बनाम छत्तीसगढ़ राज्य तथा सुओ मोटो रिट पिटीशन (क्रि0) संख्या-04/2021 पॉलिसी स्ट्रेट्जी फार ग्रान्ट ऑफ बेल में मा0 उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा पारित आदेश दिनांक 10.09.2024 के संदर्भ में।
6- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
सूर्य प्रकाश मिश्र
उप सचिव।

1-यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.gov

शासनादेश संख्या-631/2025/3415/22-2-2023-17(1226)/2023

दिनांकः 26 जून, 2025 का संलग्नक

सरकार के आदेश

जिला कारागार, आजमगढ में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी इकबाल पुत्र अब्दुल खालिक, कस्बा-जहानागंज, थाना-जहानागंज, जनपद-आजमगढ़ का निवासी है। बन्दी पुरानी रंजिश के कारण बन्दी ने दिनांक 13.04.2007 को अपने 10 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर बम, रिवाल्वर व तमंचे से गोली मारकर वादी के पिता, भाई अकरम, चाचा-फारूक व उनके लड़के इम्तियाज सहित 04 व्यक्तियों की हत्या कर दी व 02 अन्य व्यक्तियों को घायल कर दिया। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-417/2007 व 420/2007, भा0द0वि0 की धारा-147, 148, 307/149, 302/149, 452, 286, 504, 506 व 7 सी०एल०ए० एवं 25/27 आर्म्स एक्ट के अन्तर्गत मा० सत्र न्यायाधीश, आजमगढ़ के आदेश दिनांक 22.12.2016 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया। बंदी ने दिनांक 10.07.2023 तक अपरिहार 16 वर्ष, 02 माह, 17 दिन तथा सपरिहार 18 वर्ष, 02 माह, 23 दिन की सजा पूरी कर ली है।

जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, आजमगढ़ द्वारा मा० उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में बन्दी द्वारा कारित अपराध समाज को व्यापक रूप से प्रभावित करने, बन्दी द्वारा भविष्य में पुनः अपराध करने की सम्भावना होने, बन्दी द्वारा पुनः अपराध करने में अशक्त नहीं होने, बन्दी को जेल में आगे निरूद्ध करने का सार्थक प्रयोजन होने, बन्दी के परिवार की सामाजिक आर्थिक दशा में बन्दी की समयपूर्व रिहाई हेतु उपयुक्त नहीं होने की आख्या अंकित करते हुए समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

प्रोबेशन बोर्ड का अभिमत है कि पुरानी रंजिश के कारण बन्दी ने दिनांक 13.04.2007 को बन्दी ने अपने 10 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर बम, रिवाल्वर व तमंचे से गोली मारकर 04 व्यक्तियों की हत्या करने व 02 व्यक्तियों को घायल करने का जघन्य अपराध कारित किया गया है। इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत संदेश जायेगा। इस प्रकार बन्दी द्वारा कारित अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता, जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा बन्दी की समयपूर्व रिहाई का विरोध किये जाने के दृष्टिगत प्रिजनर्स रिलीज आंन प्रोबेशन एक्ट 1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बंदी इकबाल पुत्र अब्दुल खालिक को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

उक्त के दृष्टिगत सम्यक विचारोपरान्त मा0 राज्यपाल महोदया द्वारा बंदी की फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर समयपूर्व रिहाई अस्वीकार कर दी गयी है।

शिव गोपाल सिंह
संयुक्त सचिव।

1-यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।